

उनवान

(1) दिनेश पिता श्री चम्पालाल जाति सेवक निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।  
—: वादी

बनाम

(1) भोगीलाल पिता श्री सुखा जाति सेवक निवासी आंजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।  
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 30.7.2019


संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा आंजना पटवार हल्का आंजना की खाता संख्या 644 (नई) 455, 544 (पुरानी) के कुल किता 31 रकबा 2.82 हे० भूमि के बटवारा का वाद धारा 53, 209 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दौराने कार्यवाही पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर-आंजना पर पेश होने पर प्रकरण में पक्षकारान् के निहित हिस्से के अनुसार बटवारा करने का निर्णय पारित किया जाकर निर्णय की प्रति वास्ते पालनाथ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी द्वारा नीचे वर्णित अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा (हे०)
1	आंजना	आंजना	दिनेश पिता श्री चम्पालाल सेवक सा. देह.खातेदार रहन I.C.I.C.I. बैंक शाखा अरथूना	4716/1	0.08
				4734	0.06
				4737	0.06
				4745/2	0.09
				4762/2	0.03
				4775/2	0.02
				4777	0.20
				4779	0.02
				4791/1	0.02
				4817/2	0.20
				8641	0.03
				8647	0.08
				8662	0.05
				8667	0.09
				8669	0.04
				8675	0.06
योग:—				16	1.13
			भोगीलाल पिता श्री सुखा सेवक सा. देह.खातेदार रहन I.C.I.C.I. बैंक शाखा अरथूना	4279	0.08
				4290	0.05
				4291	0.15
				4716/2	0.07


	4762/1	0.04
	4768	0.04
	4775/1	0.02
	4782	0.13
	4791/2	0.03
	4817/1	0.20
	8636	0.20
	8642	0.09
	8661	0.05
	8668	0.07
	8670	0.06
	8674	0.09
योग:-	21	1.69

  
 (रामचन्द्र खटीक)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

### आदेश

तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का आंजना के मौजा आंजना की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 644 (नई) 455, 544 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की पृथक से अन्तिम डिक्री जारी कर निर्णय व डिक्री की छाया प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को जारी किया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 गढ़ी, जिला बांसवाड़ा